राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 3767/2025

रेणु धाकड़ –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 04.08.2025
आदेश की दिनांक : 12.08.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल सिंह खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक रसायन विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, एतमारिया जिला भीलवाड़ा में कार्यरत है। अपीलार्थी का प्रत्यर्थी विभाग के पदोन्नति आदेश दिनांक 13.012.2024 द्वारा व्याख्याता ग्रेड–I रसायन विज्ञान के पद पर पदोन्नति होने पर विभागीय आदेशों की अनुपालना में वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यभार ग्रहण कर लिया। वर्तमान में व्याख्याता ग्रेड–I रसायन विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईतमारिया (Etmariya), भीलवाड़ा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता ग्रेड–I रसायन विज्ञान के पद पर पदोन्नति पश्चात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालदरखा (Baldarkha) जिला भीलवाड़ा में स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है। जिसकी पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.05.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात् दिनांक 06.05.2025 के द्वारा नव पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी के द्वारा पदोन्नति परित्याग का अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक–5)। जिसको प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पदोन्नति व्याख्याता ग्रेड–I रसायन विज्ञान हुई थी एवं

काउंसलिंग के दौरान विभाग द्वारा निकटतम रिक्त पद नहीं दर्शाये गये एवं दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी का पति जोधपुर में रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी की सास काफी वृद्ध है जो अक्सर बीमार रहती है। उन्हें नियमित रूप से चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है। अपीलार्थी की दो बेटियां है, जिनकी उम्र 8 वर्ष एवं 3 वर्ष है। उनकी एवं सास की देखभाल अपीलार्थी द्वारा की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला परिवार अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अपीलार्थी ने इन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते पदोन्नति परित्याग का निवेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.04.2025 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को निरंतर कार्यरत रखा जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक रसायन विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईतमारिया (Etmariya) जिला भीलवाड़ा में कार्यरत है। अपीलार्थी व्याख्याता ग्रेड–I रसायन विज्ञान के पद पर हुई पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है। पदोन्नति परित्याग के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्य पीठ में दायर समान प्रकरण एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 8761/2025 श्रीमती वर्मालता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.05.2025 द्वारा निम्न दिशा निर्देश पारित करते हुए समान प्रकृति के मामलों में परित्याग हेतु आदेशित किया है जो निम्नानुसार हैः–

"**44. The writ petitions are therefore, disposed of with the following directions:**

(i) The petitioners shall be at liberty to file an application in writing, exercising their option to forego the promotion, within a period of 15 days from now.

(ii) Those petitioners who, after having been provided the place of posting, joined in pursuance to the same, would also be entitled to move an application in writing in terms of direction No.1 and the consequences shall follow.

5. उभय पक्ष माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश के अनुसार अपीलें निस्तारित करने हेतु सहमत है।

6. हम यह पाते है कि उपरोक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की श्रेणी में आता है। अतः उक्त अपीलों का माननीय उच्च न्यायलय द्वारा रिट याचिका संख्या 8761/2025 श्रीमती वर्मालता बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में निर्णित करते है एवं उभय पक्ष को तद्नुसार कार्यवाही हेतु आदेशित करते है। अपीलार्थी अपना पदोन्नति परित्याग का आवेदन इस आदेश के 15

दिवस के भीतर प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करे एवं प्रत्यर्थी विभाग प्रस्तुत आवेदन को आगामी 15 दिवस में निस्तारित करे। इसकी सूचना सम्यक यप से अपीलार्थी को दी जावे।

7. उपरोक्त अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य